कार्यालय प्रधानमुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष—स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

वन्यजीव बाघ के अवयवों के अवैध व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के संलिप्त मिजोरम निवासी आरोपी की Transfer Petition माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली से खारिज

प्रेस विज्ञप्ती (**33/26,** दिनांक **05.06.2026)**

वन्यजीव मुख्यालय के निर्देश पर मध्यप्रदेश के बालाघाट में बाघ का शिकार कर उसकी खाल एवं हड्डियों को अवैध रूप से खरीदकर असम/मिजोरम में बेचने व म्यानमार के रास्ते चीन तक तस्करी करने वाले संगठित गिरोह पर कार्यवाही करते हुये, अंतर्राष्ट्रीय आरोपी सोनू सिंह पिता रंजीत सिंह बावरिया (हरियाणा) को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश की क्षेत्रीय इकाई जबलपुर द्वारा गिरफ्तार कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/17 दिनांक 18.02.25 दर्ज कर विवेचना की जा रही है। उक्त प्रकरण में आज दिनांक तक 06 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण की विवेचना के दौरान बालाघाट से बाघ के अवयवों की खरीद-फरौख्त में शामिल आरोपी जामखानकाप निवासी थुम्पुई जिला आईजोल (मिजोरम) को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उक्त आरोपी मुख्यत: हवाला के तहत बाघ के अवयव पहुचाने के बदले पैसे भारत में ला रहा था। आरोपी के विरूद्ध वनमंडल राजुरा महाराष्ट्र में भी वन अपराध प्रकरण क्रमांक 8893/222322/2025 बाघ के शिकार का प्रकरण दर्ज है साथ ही उक्त आरोपी के विरूद्ध प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के द्वारा भी मनीलॉड्रिंग केस में भी विवेचना की जा रही है।

उक्त आरोपी जामखानकाप के द्वारा मध्य प्रदेश के न्यायालय से चंद्रपुर, महाराष्ट्र के न्यायालय में स्थानांतरित (Transfer) करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में Transfer Petition (Criminal) 4/2026 दिनांक 29-05-26 दायर की जिसे स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स द्वारा जवाबदावा तैयार कर Standing Counsel of India, Supreme court of Delhi को प्रेषित किया गया जिसके आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा उक्त Transfer Petition की गंभीरता व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाघों की तस्करी मामले को मानते हुये **5 जजों की पीठ** के द्वारा सुना गया व दो भिन्न–भिन्न प्रकरण मानते हुये उसे खारिज किया गया। उक्त कार्यवाही वन्यजीव बाघ प्रकरण के अभियोजन में बड़ी सफलता है। प्रकरण में विवेचना जारी है। उक्त आरोपी गिरफ्तारी दिनांक से (1वर्ष से अधिक) ही जेल में निरूद्ध है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल